न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 2016/05

पंजीयन दिनांक – 12–01–2016

निर्णय दिनांक – 23–10–2016

1. श्री उदयसिंह पिता भेरु सिंह जी राजपूत, निवासी बड़ी सादड़ी तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
2. श्री सुरसिंह पिता प्रतापसिंह जी राजपूत निवासी बड़ी सादड़ी तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।

––अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भैरुलाल पिता रोड़ीलाल जी चौधरी, निवासी मुझवा, तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ।
2. श्रीमती लाड़ बाई पति श्री दिनेश नाहर, निवासी बड़ी सादड़ी, तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ।
3. श्रीमती राजकुमारी पति श्री आनन्द जी जैन, निवासी बड़ी सादड़ी, तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ।

––रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, बड़ी सादड़ी प्रकरण संख्या 102/2015 निर्णय दिनांक – 18.12.2015

उपस्थितिः–

1. श्री सुधिर जारोली – अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या–1
2. श्री एस.एस.मेहता – अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या–2 अनुपस्थित।
3. श्री मनीष मोगरा – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 23–10–2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड़ अधिकारी, बड़ी सादड़ी के प्रकरण संख्या 102/2015 निर्णय दिनांक 18–12–2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम बड़ी सादड़ी तहसील बड़ी सादड़ी में रेस्पों. सं. 1 से 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की खाता संख्या 608 की आराजी नं. 2314 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात के अपीलान्ट पडौसी होने से दोनों पक्षों के बीच भूमि के सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। जिससे पत्थर गढ़ी कराने हेतु रेस्पोंडेन्टस ने उपखण्ड़ अधिकारी बड़ी सादड़ी के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्डं रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश किया। उपखण्ड़ अधिकारी, बड़ी सादड़ी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आ.नं. 2314 रकबवा 0.21 हैक्टेयर की विभिन्न आराजीयात की पत्थर गढ़ी मौजूदा अपीलान्ट्स (अधिनस्थ न्यायायलय में विपक्षीगण) की मौजुदगी में किये जाने का आदेश दिनांक 18.12.2015 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 1 उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 1 ने अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या–1 का रेस्पोंडेन्ट्स के साथ राजीनामा भी हो चुका है तथा प्रश्नगत आराजीयात की भूमि अपीलान्टगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर दी गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी संख्या 2314 रेस्पोंडेन्टगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई है। राजस्व रेकर्ड में भी रेस्पोंडेन्टगण के नाम पर दर्ज है, स्वयं की खातेदारी की भूमि के सीमांकन की जानकारी के लिए प्रार्थना पत्र अधिनस्थ

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि अपीलान्ट जानबूझ कर रेस्पोंडेन्टगण के साथ विवाद करने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रश्नगत आराजीयात या उससे लगी हुई कोई भी भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व आधिपत्य की नहीं है न ही अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है एवं न ही अपीलान्ट के कोई हित एवं अधिकार प्रभावित हो रहे है। अन्त में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.12.2015 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

हमने विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट सख्या 1 एवं अधिवक्ता रेस्पों. की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट संख्या 1 ने अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या–1 का रेस्पोंडेन्ट्स के साथ राजीनामा भी हो चुका है तथा प्रश्नगत आराजीयात की भूमि अपीलान्टगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर दी गई है। प्रश्नगत आराजी संख्या 2314 रेस्पोंडेन्टगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय की गई है। राजस्व रेकर्ड में भी रेस्पोंडेन्टगण के नाम पर दर्ज है,। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित को नोटिस देकर रेस्पोंडेन्टगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन/पत्थरगढ़ी नियमानुसार करा सकते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं। उपखण्ड़ अधिकारी, बड़ी सादडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर